

पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी  
अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सम्पर्क यदि हो तो,  
देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2627532  
तार : युनिक्सिटी  
फैक्स : 0731-529540



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2021/285  
प्रति,

दिनांक :

8 JUN 2021

प्रधाय/संचालक,

शिवाजीराव कदम् इस्टिड्युट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट,  
(पूर्व नाम- एक्रोपोलिस टेक्निकल केम्पस)  
तिल्लोर खुर्द, रालामण्डल के पास,  
इन्दौर।

विषय:- महाविद्यालय को एम.बी.ए. (फुल टाइम) पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भ: आपका पत्र क्र. निरंक दिनांक 12/03/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के संबंध में लेख्य है कि आपके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में निम्नांकित पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शुल्क जी.एस.टी. सहित रूपये राशि 1,59,300/- एम.पी.ऑनलाईन आई.डी. क्र. 20022024673122742502 दिनांक 20.02.2020 के द्वारा विश्वविद्यालय में जमा किये है।

क्र	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	एम.बी.ए. (फुल टाइम)	180

अतः उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रम की शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता जारी है।

शर्त:-

1. ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
2. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. परीक्षा कार्य में असहयोग करने वाले महाविद्यालयों को आगामी सत्र में निरन्तरता/नवीनीकरण करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. मापदण्ड अनुरूप छात्रसंख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्था का होगा।
5. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन [aishe.gov.in](http://aishe.gov.in) के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
6. महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वपोषित इकाई अनिवार्यतः रूप से प्रारंभ की जावे। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारु रूप से संचालन हेतु रूपये 10/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी के मान से शुल्क लिया जा सकता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

दिनांक :

8 JUN 2021

पृ.क्र.शैक्षणिक/सम्बद्धता/2021/  
प्रतिलिपि:-

1. उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, दे.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप-कुलसचिव(शैक्ष.)